

मध्यप्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा

मॉडल प्रश्नपत्र- सामान्य अध्ययन- प्रथम प्रश्नपत्र

प्रश्न-1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

1. सामूहिक उत्तरदायित्व
2. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)
3. तृणमूल राजनीति
4. तेरहवाँ वित्त आयोग
5. पैन (PAN)
6. पाणिनी
7. राष्ट्रीय जल ग्रिड
8. महिला सशक्तीकरण
9. वैश्वीकरण
10. राष्ट्रीय किसान आयोग
11. रेड टेपिज्म
12. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
13. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
14. नेट बैंकिंग
15. के.पी.ओ.
16. बिमस्टेक
17. सब्सिडी
18. ड्रिप सिंचाई
19. बंग-भंग आंदोलन
20. पेटेंट

उत्तर-1-1. **सामूहिक उत्तरदायित्व**-संसदीय लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य व्यवस्थापिका के लोक सदन (भारत में लोकसभा) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव लाया भी जाता है, तो वह समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध माना जाता है और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समस्त मंत्रिपरिषद सामूहिक त्यागपत्र दे देती है।

2. **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)**-विदेशी निवेशक जब उत्पादन के साधनों अर्थात् भूमि, कारखाने, पूँजीगत वस्तुओं आदि में सीधे अपना धन लगाते हैं, तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment-FDI) कहते हैं। इस तरह का निवेश प्रायः विदेशी कंपनियाँ करती हैं, जिनका उद्देश्य अपने उत्पादन और बाजार के क्षेत्र का विस्तार करना होता है।

3. **तृणमूल राजनीति (Grass Root Politics)**-तृणमूल राजनीति का अभिप्राय ऐसी राजनीति से है जिसमें राजनीतिक सत्ताधारियों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर आम जनता या जनसाधारण का समर्थन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया जाता है। राजनीतिक दल के साधारण सदस्यों तथा जन साधारण की भावनाओं और विचारों को महत्व प्रदान किया जाता है तथा नीति निर्माण में भी इनकी अभिव्यक्ति को गंभीरता से लिया जाता है।

4. **तेरहवाँ वित्त आयोग**-केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व संग्रह के बँटवारे के लिए मानक निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत तेरहवें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2007 में किया था। डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित इस आयोग द्वारा 31 अक्टूबर, 2009 तक अपनी रिपोर्ट सौंप दिए जाने की संभावना है। आयोग 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 तक की पाँच वर्षों की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें देगा।

5. **पैन (PAN)**- पैन 10 अंकों की एक संख्या है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होती है। पैन का उद्देश्य

संभावित आयकरदाताओं को चिन्हित करना है। पैन निम्नलिखित लेन-देन के लिए आवश्यक है- 5 लाख रुपए से अधिक की सम्पत्ति का क्रय- विक्रय, मोटर वाहनों का क्रय-विक्रय, बैंक अथवा डाकघर में 50 हजार रुपए की जमा राशि, 10 लाख रुपए से अधिक की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, बैंक खाता खोलने के लिए, पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए।

6. **पाणिनी-** विश्व के विख्यात व्याकरणाचार्य पाणिनी का जन्म भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गांधार राज्य में हुआ था। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई तथा अपने महान ग्रंथ 'अष्टाध्यायी' में संस्कृत व्याकरण की आधुनिक प्रणाली विकसित की। पाणिनी द्वारा व्याकरण की खोज अठारहवीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों के लिए भाषा विज्ञान के विकास का आधार बनी।
7. **राष्ट्रीय जल ग्रिड-** 'नदी जोड़ो परियोजना' का एक प्रमुख लक्ष्य सम्पूर्ण भारत की नदियों को एक साथ जोड़ते हुए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने की योजना है ताकि अधिशेष जल वाली नदियों का पानी नहरों एवं भूमिगत सुरंगों के माध्यम से कम जल वाली नदियों में छोड़कर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
8. **महिला सशक्तीकरण-** शताब्दियों से आर्थिक, सामाजिक-राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में नैसर्गिक अधिकारों से वंचित महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर लाने के लिए उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके, विधिक तौर पर उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने तथा प्रत्येक स्तर पर निर्णयन की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया महिला सशक्तीकरण कहलाती है।
9. **वैश्वीकरण-** प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूँजी एवं बौद्धिक सम्पदा का अप्रतिबंधित आदान-प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण तब तक ही संभव है जब तक कि ऐसे आदान-प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाता और इन्हें कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और जो सर्वानुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करे।
10. **राष्ट्रीय किसान आयोग-** भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना फरवरी 2004 को की गई। इसका नवंबर 2004 में पुनर्गठन किया गया। जिसके चेयरमैन भारत रत्न कृषि वैज्ञानिक एवं भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इसका उद्देश्य भारतीय कृषकों के समक्ष आने वाली समस्याओं का परीक्षण एवं नीतियों की संस्तुति, नए प्रोग्राम बनाने तथा उनके लिए सुझाव देना आदि हैं। ऐसा करने पर उत्पादकता एवं मुनाफा बढ़ाने और खेती की पद्धतियों को टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। आयोग द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर 10 मुख्य लक्ष्यों वाली राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट किसानों हेतु बनाया जा चुका है।
11. **रेड टेपिज्म-** अँग्रेजी भाषा में रेड टेपिज्म शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकिन्स ने अफसरों तथा वकीलों द्वारा दस्तावेजों को लाल फीते से बाँधने की परम्परा के लिए किया था। टॉमस कार्लाइल ने लाल फीताशाही (रेड टेपिज्म) शब्द का प्रयोग सरकार की विलम्बकारी प्रक्रिया आदि पर कटाक्ष करने के लिए किया। जिससे यह इसी रूप में लोकप्रिय हो गया। वर्तमान में भी इसे नकारात्मक रूप में ही प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यों में अनावश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते-करते अतिविलम्ब हो जाता है, जिससे उस कार्य का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।
12. **अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन-** अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजनाओं में सर्वाधिक विस्तृत एवं पेचीदा प्रोजेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अगुवाई में इसके निर्माण में 16 राष्ट्रों के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं। यह राष्ट्र हैं- कनाडा, जापान, रूस, ब्राजील तथा यूरोपीय अंतरिक्ष संगठन के 11 देश। यह स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 कि.मी. की ऊँचाई पर स्थित कक्षा में 51.6 डिग्री के झुकाव पर है। यह कक्षा पृथ्वी का अत्युत्तम प्रेक्षण भी प्रदान करती है, जिससे पृथ्वी के 85 प्रतिशत भाग तथा 95 प्रतिशत से अधिक आबादी का प्रेक्षण किया जा सकता है।
13. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद से पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। जिसका नाम था- मानवाधिकार कानून, 1993। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग एक बहु सदस्यीय संस्था है जिसका एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं। आयोग

का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। दो अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यकारी अनुभव होना चाहिए। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में तीन अन्य सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर होती है।

14. **नेट बैंकिंग**-इंटरनेट एवं कम्प्यूटर की सहायता से घर बैठे बैंकिंग के कार्यों का संचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया को नेट बैंकिंग कहते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक अपने कम्प्यूटर का उपयोग कर अपने बैंक नेटवर्क और उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। नेट बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी घर बैठे या ऑफिस से बैंक सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
15. **के.पी.ओ.**- के.पी.ओ. अर्थात् नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान आधारित सेवाएँ जैसे कि वकालत आदि दूसरे देशों से कराई जाती है। आने वाले दिनों में विकसित देश अपनी अनेक ज्ञान आधारित सेवाएँ भारत जैसे विकासशील देशों से कराना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए काफी सस्ता होता है।
16. **बिमस्टेक**- यह एक व्यापारिक समूह है। जून 1997 में स्थापित प्रारंभिक चार राष्ट्रों (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका तथा थाइलैंड) के साथ इसे पहले BISTEC के नाम से जाना जाता था। कुछ समय उपरांत सात राष्ट्रों (भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा भारत) के साथ इसका नाम BIMSTEC हो गया। 2004 में बैंकाक शिखर सम्मेलन से इसे Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic co-operation कहा जाने लगा है।
17. **सब्सिडी**- सब्सिडी अर्थात् सरकारी सहायता, सरकार द्वारा देश के किसी विशेष वर्गों, समूहों या संस्थाओं को उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। कल्याणकारी राज्यों में सरकार गरीब या जन सामान्य को आवश्यकता की वस्तुओं, जैसे अनाज, पानी, दवाइयाँ, शिक्षा, परिवहन, कपड़ा, साबुन, कुकिंग गैस, केरोसीन आदि वस्तुओं को कम मूल्य पर उपलब्ध कराती है। यह व्यवस्था सरकारी अप्रत्यक्ष सहायता कहलाती है। विकासशील देशों में इस सरकारी सहायता के माध्यम से वोट भी माँगे जाते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर अनाज देने का वायदा करते हैं।
18. **ड्रिप सिंचाई**- इस विधि का विकास इजराइल में हुआ था। इसे टपक सिंचाई या बूँद-बूँद कर सिंचाई भी कहते हैं। सिंचाई की यह विधि ऊसरीली, रेतीली, थोड़ी ऊँची-नीची भूमियों, बागों की सिंचाई आदि में प्रयोग की जाती है। जिसमें पी.वी.सी. की पाइप लाइनें खेत में बिछाई जाती हैं और आवश्यकतानुसार जगह-जगह पर नोजल लगाए जाते हैं जिनसे जल बूँद-बूँद निकलकर पौधों या वृक्षों की सिंचाई करता है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से 35-75 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है जिसके लिए देश में राज्य सरकारें अनुदान एवं सब्सिडी भी दे रही हैं। इसके अलावा 60-80 प्रतिशत श्रम की बचत भी अन्य विधियों की अपेक्षा इस स्थिति में होती है। यद्यपि यह विधि अधिक ऊँची-नीची भूमियों के लिए अनुपयुक्त होती है, फिर भी इसके विकास की देश में अत्यधिक आवश्यकता है।
19. **बंग-भंग आंदोलन**-बंग-भंग का अर्थ है- बंगाल का विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल प्रेसीडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। इसमें न केवल पश्चिम और पूर्वी बंगाल (आधुनिक बांग्लादेश), बल्कि उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे। अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति था, जिसे विभाजन के द्वारा खंडित कर दिया गया, कारण यह दिया गया कि इतने बड़े प्रांत पर सुव्यवस्थित ढंग से शासन करना संभव नहीं। विभाजन की योजनानुसार अविभाजित बंगाल को बंगाल एवं पूर्वी बंगाल में विभाजित किया गया। विभाजन का राजनीतिक उद्देश्य हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालना था। बंग-भंग के खिलाफ पूरे देश में एक सशक्त आंदोलन जाग्रत हो गया। इसे ही बंग-भंग आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन की तपन से प्रभावित होकर कुछ समय उपरांत सरकार को बंग-भंग रद्द करना पड़ा।

20. **पेटेंट**-शोध या आविष्कार के परिणामस्वरूप कोई नई उत्पादन प्रक्रिया अथवा मशीनरी मॉडल तैयार किया जाता है, तब सरकार इस सफल आविष्कार को पेटेंट अधिकार प्रदान करती है। इस कानून से शोधकर्ता अपने आविष्कार के निषेधक उपयोग का अधिकारी हो जाता है। सरकार द्वारा सुनिश्चित वर्षों के लिए खोजकर्ता को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बदले में खोजकर्ता अपनी खोज के संदर्भ में सूचनाओं को सार्वजनिक करता है। पेटेंट प्राप्त करने के लिए नवीनता, उपादेयता और स्पष्टता जैसी तीन मूलभूत कसौटियों पर पेटेंट आवेदन को खरा उतरना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन द्वारा पेटेंट कानून को प्रभावी बनाया गया है।

प्रश्न-2. राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है ?

उत्तर-2. राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिन्दू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। उन्होंने अपने राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए अनवरत प्रयास किए। रूढ़िवादी विचारों को तिलांजलि देकर उन्होंने विवेकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धांत का अनुमोदन किया।

एक सुधारवादी के रूप में राजा राममोहन राय आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिमायती थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। 1809 में उन्होंने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एकेश्वरवाद को उपहार' लिखी। जिसमें उन्होंने बहुदेववाद के विरोध तथा एकेश्वरवाद के पक्ष में अनेक तर्क दिए। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों एवं उपनिषदों के बंगाली अनुवाद लिखे तथा स्पष्ट किया कि प्राचीन हिन्दू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। अपने विचारों एवं उद्देश्यों को साकार करने के लिए राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज नाम की एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य था हिन्दू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। इस संस्था के दो आधार थे- तर्कशक्ति और वेद एवं उपनिषद। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्तिपूजा का विरोध किया तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की घोर आलोचना की।

उनका मानना था कि न तो भारत के अतीत पर आँखें मूँदकर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त करना चाहिए। अतः उन्होंने चाहा कि भारत पश्चिमी देशों से सीखे मगर सीखने की यह प्रक्रिया एक बौद्धिक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया हो जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति एवं चिंतन में नए प्राण डाल दिए जाएँ। इस प्रक्रिया का अर्थ भारत पर पाश्चात्य संस्कृति को थोपना नहीं है। वे हिन्दू धर्म में सुधार के हिमायती भी थे।

भारतीय समाज के सुधार के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान था- सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन। उन्होंने 1818 में इस प्रश्न पर जनमत खड़ा करने का काम आरंभ किया। एक ओर पुराने शास्त्रों का प्रमाण देकर दिखलाया कि हिन्दू धर्म सती प्रथा के विरोध में था तो दूसरी ओर उन्होंने लोगों को मानवीयता और दया भाव की दुहाई दी। उन्होंने समान विचार वाले लोगों को संगठित किया ताकि इन कृत्यों पर कड़ी निगाह रखी जा सके और विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर करने की हर कोशिश को रोका जा सके। जब रूढ़िवादी हिन्दुओं ने ब्रिटिश संसद को याचिका दी कि वह सती प्रथा पर पाबन्दी लगाने संबंधी विलियम बैंटिक की कार्यवाही को स्वीकृति न दे तो राजा राममोहन राय ने बैंटिक की कार्यवाही के पक्ष में प्रबुद्ध हिन्दुओं की ओर से एक याचिका लगाई। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित कर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा सती प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया।

राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की परवशता की निन्दा की तथा इस प्रचलित विचार का विरोध किया कि स्त्रियाँ, पुरुषों से बुद्धि में या नैतिक दृष्टि से निकृष्ट हैं। उन्होंने स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार देने की माँग की। वे स्त्रियों को शिक्षा देने, विधवा विवाह को प्रारंभ करने, सती प्रथा को समाप्त करने तथा बहु-पत्नी विवाह को गैर-कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने माँग की कि उन्हें पैत्रक एवं विरासत सम्पत्ति संबंधी अधिकार मिलने चाहिए।

राजा राममोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार-प्रसार के समर्थक थे। उन्होंने डेविड हेअर को 1817 में हिन्दू कॉलेज की स्थापना में सहायता की तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं

का समर्थन किया। उन्होंने अपने खर्चे पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों दांते, रूसो, एवं वाल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदान्त कॉलेज की स्थापना की जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। राममोहन राय ने भारत में पूँजी के निर्माण तथा संरक्षण के लिए यह विचार व्यक्त किया कि देश से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की धनराशि के निर्यात को रोका जाना चाहिए। इसके लिए समृद्ध विदेशी व्यापारियों को जो भारत में सम्पत्ति का अर्जन करते हैं, भारत में ही बसाया जाए ताकि वे अपना धन बाहर भेजने के बजाय भारत की उद्योग व्यवस्था में ही लगाएँ।

राजा वे देश के राजनीतिक प्रश्नों पर जनांदोलन के प्रवर्तक थे। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए-

- उन्होंने बंगाल के जमींदारों की उत्पीड़क कार्यवाहियों की घोर निन्दा की और माँग की कि वास्तविक किसानों द्वारा दिया जाने वाला अधिकतम लगान सदा के लिए निश्चित कर दिया जाए।
- उन्होंने कर-मुक्त भूमि पर सरकार द्वारा पुनः कर लगाने के प्रयासों का विरोध किया।
- उन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को खत्म करने की माँग की।
- भारतीय वस्तुओं पर से भारी निर्यात शुल्क हटाने की माँग की।
- उन्होंने उच्च सेवाओं के भारतीयकरण की माँग की।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने की माँग की।
- जूरी के जरिए मुकदमों की सुनवाई तथा भारतीयों और यूरोपियों के बीच न्यायिक समानता की माँग की।

इस प्रकार राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत एवं आधुनिक भारत के निर्माता कहे जा सकते हैं। शिक्षा, साहित्य, धर्म, समाज, राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। अनेक प्रतिरोधों के बावजूद अपने प्रयासों में वे काफी हद तक सफल रहे। इतिहासकार विपिनचन्द्र ने उन्हें उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में भारतीय आकाश के सबसे चमकीले सितारे के रूप में रखा है। इतिहासकार सरकार और दत्त के शब्दों में उन्होंने बुद्ध के पश्चात् भारतवर्ष को इस अवस्था में रखा ताकि वह समूची मानव जाति को आध्यात्मिक संदेश दे सके और निर्णयकारी राष्ट्रीय इतिहास की दौड़ आरंभ कर सके।

प्रश्न-3. सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है ?

उत्तर-3. भारतीय संसद ने 12 मई, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, जिसे 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी और 12 अक्टूबर, 2005 को यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत पर लागू हो गया।

सूचना का तात्पर्य-सूचना किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, विचार-विमर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, संविदा, प्रतिवेदन, कागजात, बानगी, नमूने, किसी रूप में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी सामग्री व निजी संकाय से संबंधित ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानून में प्राप्त की जा सकती है, सम्मिलित है।

उद्देश्य- यह अधिनियम शुरुआती शब्दों में ही अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है। इसके उद्देश्य खंड में कहा गया है कि लोक प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस विधि को पारित किया जा रहा है।

मुख्य प्रावधान-

- इस विधि को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के नीचे राज्य और जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक सूचना आयुक्तों व सूचना प्राधिकारियों की लंबी चौड़ी व्यवस्था की गई है।
- सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क (दस रुपए नकद, ड्राफ्ट या चेक) के साथ नियम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए निःशुल्क आवेदन का भी प्रावधान है [धारा 6 व 7 (5)]
- सूचना अधिकारी 30 दिनों के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध करवाएगा और यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो इसे आवेदन के 48 घण्टों के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। [धारा

7(1)]

- जहाँ सूचना का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी को निम्नलिखित को बताना आवश्यक होगा-
 - ★ इस प्रकार अस्वीकृति के कारण।
 - ★ अस्वीकृति की अपील का समय जो विहित हो।
 - ★ अपील अधिकारी के बारे में जानकारी [धारा 7 (8)]
- इस अधिनियम के प्रावधान केंद्र व राज्य सरकार पर ही नहीं बल्कि स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व स्वयंसेवी संगठनों पर भी लागू होंगे।
- कुछ सूचनाओं को इस अधिनियम के बाहर रखा गया है जिन्हें सार्वजनिक करने से भारत की सम्प्रभुता और अखंडता प्रभावित होती हो अथवा राष्ट्र की सुरक्षा, रणनीति अथवा आर्थिक व वैज्ञानिक हितों पर आँच आती है। ऐसी सूचना जिससे विदेशों से संबंध खराब होने की आशंका हो या जो किसी अपराध को बढ़ावा दें, से संबंधी सूचना देने से भी मना किया गया है। सूचना जिसका किसी न्यायालय द्वारा प्रकाशन वर्जित किया गया है या जिसकी सूचना देना न्यायालय की अवमानना हो तो ऐसी सूचना भी अधिनियम से स्पष्ट रूप से वर्जित की गई है। [धारा 8]

अधिनियम की प्रमुख कमियाँ-

- लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारी की यह जिम्मेदारी तो तय की गई है कि वह एक निश्चित समय में माँगी गई सूचना देगा या उसे अस्वीकार करने का कारण देगा, किन्तु लोक सूचना अधिकारी का उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।
- कर्तव्य पालन में लापरवाही या अक्षम रहने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध जुर्माने के अलावा दाण्डिक प्रावधान नहीं हैं।
- इस अधिनियम में सूचना प्राप्ति के विरुद्ध जो भी अपवाद दिए गए हैं, उनके आधार पर सूचना अधिकारी अपनी नौकरशाही प्रवृत्ति को प्रकट कर सकता है।
अंत में यह कहा जाना उपयुक्त होगा कि यदि इस अधिकार का सजग ढंग से उपयोग किया जाए तो इससे न केवल देश की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा बल्कि यह लोकतंत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रश्न-4. संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कौनसे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ?

उत्तर-4. भारतीय संविधान के भाग-3 में भारतीय नागरिकों को सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। परंतु संविधान के चौवालीसवें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया तथा इसे अब केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में निम्नलिखित छः अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं-

- ★ समानता का अधिकार
- ★ स्वतंत्रता का अधिकार
- ★ शोषण के विरुद्ध अधिकार
- ★ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- ★ संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार
- ★ संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समानता का अधिकार

[अनुच्छेद 14 से 18 तक]

- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद-14) का अभिप्राय यह है कि विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं तथा सभी के लिए एकसमान विधि है। विधि का समान संरक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाए।
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)।
- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद-16) प्रदान की गई है, लेकिन विशेष वर्गों

को इसमें आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

- अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद-17)।
- उपाधियों का अंत (अनुच्छेद-18)।

स्वातंत्र्य का अधिकार

[अनुच्छेद 19 से 22]

- अनुच्छेद-19 प्रारंभ में 7 स्वतंत्रताएँ प्रदान करता था, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात इनकी संख्या 6 है। यह हैं-
 - ★ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
 - ★ अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता।
 - ★ समुदाय एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता।
 - ★ भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता।
 - ★ भारत राज्य में अबाध निवास की स्वतंत्रता।
 - ★ वृत्ति जीविका या व्यवसाय की स्वतंत्रता। इन स्वतंत्रताओं पर सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है।
- अनुच्छेद-20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के अंतर्गत किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने तत्कालीन किसी कानून का उल्लंघन न किया हो।
- संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा नया अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया है। इसके द्वारा राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी।
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनु.21)- किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनु.22)।

शोषण के विरुद्ध अधिकार [अनुच्छेद 23-24]

- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम पर रोक (अनु. 23)- मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस संबंध में राज्य कोई भी विधि बना सकेगा तथा राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई भी अनिवार्य सेवा बिना किसी भेदभाव के अधिरोषित कर सकता है।
- कारखानों आदि में बालकों का प्रतिषेध (अनु.24)- चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

धार्मिक स्वतंत्रता

[अनुच्छेद 25-28]

- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनु.25)।
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनु. 26)।
- धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनु.27)- किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए विनियोजित किए जाते हैं।
- कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता (अनु.28)।

संस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार

[अनुच्छेद 29-30]

- अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अनु.29)- भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी लिपि, संस्कृति या भाषा है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य निधि से सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल जाति, भाषा, मूलवंश या धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनु.30)।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार [अनुच्छेद 32-35]

- मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार (अनु.32)- इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ऐसे आदेश या रिट, जैसे-बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, और उत्प्रेषण रिट निकालने का अधिकार है।
- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, बलों आदि को लागू होने में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 33 में दी गई है।

प्रश्न-5. भारत में अनुबंधित खेती वर्तमान की एक अहम आवश्यकता है। इस कथन की व्याख्या करें।

उत्तर-5. अनुबंधित कृषि उत्पादकों एवं ग्राहकों के बीच अग्रिम अनुबंध के तहत कृषि, बागवानी उपजों के उत्पादन तथा आपूर्ति की एक व्यवस्था है। अनुबंधित खेती के अंतर्गत अनुबंध की शर्तें पैदा की जाने वाली फसलों की प्रकृति, प्रयुक्त तकनीकी तथा कृषि में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। अनुबंधित कृषि, किसानों को ऋण सुविधा, गुणवत्ता संबंधी तकनीक तथा आवश्यक सहायता एवं सूचना प्रदान करती है। यह व्यवस्था बाजार की माँग में कमी तथा कीमतों के प्रतिकूल प्रभाव की जोखिम को भी घटाती है। अनुबंधित खेती के अन्तर्गत किसान एवं फर्म के बीच कृषि उत्पाद का मूल्य पहले ही तय कर लिया जाता है तथा फर्म द्वारा किसान को किस सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका भी उल्लेख किया जाता है। अनुबंध के अनुसार किसान को फर्म द्वारा बताई गई फसल बोकर, अपनी उपज उस अनुबंधित फर्म को ही बेचनी होती है तथा फर्म के लिए भी यह बाध्यता होती है कि वह किसान से अनुबंधित मूल्य पर पैदा की गई फसल को खरीदे और किसान को खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ तथा खेती करने का वैज्ञानिक तरीका भी सुझाए, अनुबंधित खेती के अन्तर्गत छोटे-छोटे किसानों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत रूप से साधनों का अभाव रहता है। अतः अनुबंधित खेती के अन्तर्गत जो भी समझौते किए जाएँ वह व्यावसायिकता एवं लाभप्रदता को ध्यान में रखकर किए जाएँ। अनुबंधित खेती के अन्तर्गत उत्पादन करने के जोखिम का उत्तरदायित्व किसान और फर्म के बीच बँट जाता है।

भारत में अनुबंधित खेती की शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी, जोकि आज अधिकतर राज्यों द्वारा अंगीकार कर ली गई है। पंजाब के किसानों के साथ पेप्सिको कम्पनी द्वारा अनुबंध किए जाने के कारण राज्य में पच्चीस हजार हेक्टेयर भूमि पर पचास हजार टन उपज लेने हेतु टमाटर की खेती की जा रही है। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में सूरजमुखी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में फलों एवं सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। अनुबंधित खेती के अन्तर्गत किसानों की औसत उपज राज्य के औसत उत्पादन से 25 से 50 प्रतिशत तक अधिक है, जबकि अन्य किसानों के मुकाबले अनुबंधित किसानों की प्रति हेक्टेयर आय 40 प्रतिशत तक अधिक है और ये अनुबंधित कम्पनियाँ बीज की नई-नई किस्मों, गहरी जुताई, नवीन तकनीकी तथा बुवाई के नए-नए तरीकों का भी समावेश कर रही हैं। कृषिगत बीजों के उत्पादन व आपूर्ति के व्यवसाय में 150 से भी अधिक कंपनियाँ अपना व्यवसाय अनुबंधित कम्पनियों पर ही आधारित कर चला रही हैं। गेहूँ उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने मध्यप्रदेश सरकार के साथ एक संयुक्त पहल की है। तीन साल पहले 100 हेक्टेयर भूमि से शुरू हुई यह परियोजना अब 6000 हेक्टेयर भूमि तक फैल चुकी है।

अनुबंधित खेती के लाभ

- किसानों द्वारा अनुबंधित खेती के अन्तर्गत फर्मों से फसल का मूल्य शुरुआत में ही तय कर लिया जाता है, अतः मूल्य संबंधी जोखिमों से मुक्ति मिल जाती है।
- परम्परागत कृषि के अंतर्गत अदृश्य बेरोजगारी छिपी रहती है अर्थात् कुछ समय काम मिलता है, कुछ समय खाली बिताना पड़ता है, जबकि अनुबंधित खेती के अंतर्गत व्यावसायिक फसलों की उपज की जाती है जिससे किसान के पूरे परिवार को अपनी थोड़ी सी जमीन पर भी ऊँची दर पर पूरे समय काम करने का मौका मिलता है।
- ऐसी खेती के अन्तर्गत छोटे-छोटे किसान जिनको उपज बेचने की समस्या आड़े आती है उन्हें फर्मों के माध्यम से एक अन्तरराष्ट्रीय बाजार की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि यदि वे अपनी उपज स्थानीय बाजार

में बेचते हैं, तो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

- छोटे-छोटे किसानों को फसल चक्र के अनुसार समय-समय पर ऋण एवं अग्रिमों की आवश्यकता होती रहती है। लेकिन अनुबंधित खेती के अन्तर्गत फर्म किसानों को या तो सीधे तौर पर ऋण उपलब्ध करा देती है अथवा ऋण प्रदान करने वाली एजेंसी से ऋण दिलवाने में प्रत्यक्ष सहायता करती है।
- अनुबंधित खेती में लगी फर्मों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है। अतः उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए फर्म किसानों को नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रशिक्षण आदि भी प्रदान करती है, साथ ही उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ एवं उपकरण भी उपलब्ध कराती है।

अनुबंधित खेती की कमजोरियाँ

- अनुबंधित खेती के लिए अभी तक किसी प्रकार का कानूनी ढाँचा स्थापित नहीं किया गया है।
- हमारे देश में अधिकांश किसानों के पास जमीनों के छोटे-छोटे टुकड़े उपलब्ध हैं जिससे फर्मों को अनुबंध करने में अनेक समस्याएँ आती हैं तथा किसानों के पास आधारभूत सुविधाएँ जैसे-ट्रैक्टर, सिंचाई की सुविधा, अन्य कृषि यंत्र तथा श्रमिकों का अभाव है। अतः फर्म अनुबंधित खेती के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती है।
- ऐसी खेती के अंतर्गत यदि फसल का बाजार मूल्य अनुबंध से नीचा हो, तो किसानों द्वारा बाजार से घटिया उत्पाद खरीदकर भी फर्म को आपूर्ति कर दी जाती है। इसके विपरीत फर्म भी अनुबंधित मूल्य पर उपज को लेने में आना-कानी करती है। यदि बाजार मूल्य अनुबंधित मूल्य से अधिक हो जाए, तो किसान चोरी-छिपे अपनी उपज को बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं। अतः अनुबंध को पूरा करने में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
- गाँव में किसानों के अशिक्षित और गरीब होने के कारण उनमें सौदेबाजी की क्षमता अधिक नहीं हो पाती। अतः फर्म के शिक्षित कर्मचारी अनुबंध की शर्तों को अपने पक्ष में कर लेते हैं जो भविष्य में भोले-भाले किसानों के समक्ष एक संकट बन जाता है।

देश में यदि अनुबंधित खेती की व्यवस्था को सफल बनाना है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर जरूरी कदम उठाए। सरकार द्वारा किसान के हितों को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए अनुबंधित खेती नियामक एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए। जो फर्मों एवं किसानों के मध्य उपजे विवादों को सुलझा सके। अनुबंधित खेती अभी प्रारंभिक अवस्था में है, अतः इसका ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए और किसानों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही अनुबंध करने वाली फर्मों को भी अपना दृष्टिकोण धनात्मक रखना होगा, ताकि किसानों के साथ किया जाने वाला अनुबंध दोनों ही पक्षों के लिए लाभकारी साबित हो। यदि किसान एवं फर्म दोनों ही, किए गए अनुबंध का सम्मान करें, तो वह दिन दूर नहीं होगा, जब अनुबंधित कृषि अपनी सफलता को प्राप्त न कर सके और यह देश, किसान एवं व्यावसायिक फर्मों के लिए लाभकारी साबित न हो। ■■